

स्वतंत्रता सेनानियों, आपातकालीन पीड़ितों और मातृभाषा सत्याग्रहियों के लिये पेंशन में वृद्धि

चर्चा में क्यों?

हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री ने [स्वतंत्रता सेनानियों](#), उनके आश्रितों, आपातकाल पीड़ितों और मातृभाषा सत्याग्रहियों के लिये मासिक पेंशन में उल्लेखनीय वृद्धिकी घोषणा की।

- नई पेंशन दरें 1 जुलाई, 2024 से लागू होंगी।

मुख्य बढि

- स्वतंत्रता सेनानियों और उनके आश्रितों की पेंशन 25,000 रुपए से बढ़ाकर 40,000 रुपए कर दी गई है
- आपातकाल के पीड़ितों और मातृभाषा सत्याग्रहियों की पेंशन बढ़ाकर 20,000 रुपए कर दी गई है।
- मुख्यमंत्री ने देश की आज़ादी हेतु दिये गए अनगणित बलिदानों के लिये स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित किया और [संवर्धन](#) की भावना को बनाए रखने तथा [लोकतंत्र](#) को बहाल करने के लिये आपातकाल के दौरान लड़ने वाले ['सत्याग्रहियों'](#) को भी श्रद्धांजलि दी।

मातृभाषा सत्याग्रही

- वर्ष 1957 में तत्कालीन पंजाब के हृदि भाषी इलाकों से कई लोगों ने अपनी मातृभाषा के सम्मान, प्रचार और कार्यान्वयन हेतु एक अभियान शुरू किया। उन्हें 'मातृभाषा सत्याग्रही' के नाम से जाना जाता है।

राष्ट्रीय आपातकाल

- राष्ट्रीय आपातकाल 25 जून, 1975 को अनुच्छेद 352 के अंतर्गत 'आंतरिक अशांति' के आधार पर लागू किया गया था और 21 मार्च, 1977 को इसे वापस लिये जाने तक 21 महीने तक लागू रहा था। यह घोषणा राष्ट्रीय सुरक्षा एवं खराब आर्थिक स्थिति के विषय में चिंताओं से प्रेरित थी।
 - इस आदेश ने केंद्र सरकार को नागरिक स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने वाले आदेश पारित करने का अधिकार दिया
 - राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय पहले से ही बाह्य आपातकाल लागू था।

स्वतंत्रता सैनिकि सम्मान योजना (SSSY)

- यह योजना राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान के सम्मान के प्रतीक के रूप में स्वतंत्रता सेनानियों को मासिक सम्मान पेंशन प्रदान करती है।
- उनकी मृत्यु पर पात्र आश्रितों अर्थात् पति या पत्नी तथा अवविवाहित एवं बेरोज़गार बेटियों और आश्रित माता-पिता को निर्धारित पात्रता मानदंडों व प्रक्रिया के अनुसार पेंशन प्रदान की जाती है।
- इसे गृह मंत्रालय (स्वतंत्रता सेनानी प्रभाग) द्वारा कार्यान्वित किया जाता है।
- इस योजना के तहत देश भर में 23,566 लाभार्थी शामिल हैं।

